

आयालय उप जिला कलेक्टर

सजावट लोक न्यायालय

अभियान न्याय आ-के वार 2016

फर्द अहकाम

2067, -70 वाके ग्राम (कोडा के) (वाला सं 532
 हीरा सिंह, रेवत सिंह, बने सिंह, बहापुर सिंह की
 खातेदार है) जमानत नकल जमानती सन्वत् 2038 से
 2041 के ल्याल सं. 34 के हीरा सिंह, रेवत सिंह
 बने सिंह, बहापुर सिंह कि मगवत आविजाए सा.
 देह कलकत्ता (कलकत्ता) है। अतः पुरानी हक न
 नई दोनो जमानतियों के। रेवत सिंह, रेवत सिंह
 सिंह पुत्र मगवत सिंह खीकन होगा नही प्राप्त
 जाता है। मुताबिक रिफार्ड एवं उम्दपत्ते को
 सुनने के उपरान्त दावा खारिज किया जाता
 है। खातेदार का नाम संशोधन का जेमाधिकार
 न्यायालय हाजा को नही है। अतः वादी सख्त
 न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करे। बाद खारिज किया
 जाता है। पञ्चमी फसल मुक्त होकर नमारे
 रुम हो। वाड लक्ष्मील डारिकल फसल है।

उप जिला कलेक्टर
 हिण्डौन सिटी, जिला कर्नाली